



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या 452 राँची, सोमवार 24 भाद्र 1936 (श०)  
15 सितम्बर, 2014 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----

संकल्प

11 सितम्बर, 2014

संख्या- 8/आरोप-03/2013 का.-9137-- चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री राम प्रसाद साय, तत्कालीन अवर सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची, संप्रति - संयुक्त सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्ता के पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, 2006 में जांच ऐजन्सी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन कार्रवाई में विलंब करने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

2. श्री साय के विरुद्ध उक्त आरोपों के संदर्भ में संलग्न प्रपत्र - 'क' में गठित आरोप की जांच हेतु असैनिक सेवार्यें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली - 1930 के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री शुभेन्द्र झा, विभागीय जांच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, उप सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**आभा काँशी,**

सरकार के अपर सचिव।

-----